न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 173 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रूधाराम 2 रामसिह 3 धर्मपाल 4. सुभाष चन्द्र पि0 बिसाउ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. जीवणीदेवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. सत्यजीत 7 अशोक कुमार पि0 साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पवनकुमार 9 राजेन्द्र 10 रामदयाल पि0 सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11 जबारा वल्द नारायण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

13 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा रामगढ

14 शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशलनल बैक परलीका

15 शाखा प्रबन्धक शाखा एचडीएफसी बैक रावतसर।

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री मनीराम अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा 5 आरएमजी के खाता संख्या 106/107 की कुल 134100हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वाद वादी वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा 5 आरएमजी के खाता संख्या 106/107 की कुल 134100हैक भूमि में वादी /प्रतिवादीगण के हक हिस्सा मुताबिक किस्म भूमि /कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी एवं कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 5749 दिनांक 24.12.2018 को आदेशानुसार तजबीज तकसीम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर वकील वादी का सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने वाद प्रस्तुत कर मुश्तरका खाता की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का वाद पेश किया जो प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से तजबीज तकसीम की रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नोहर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई एवं वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग करवाने में

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

सहमत है कोई भी मुश्तरका खातेदार अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि ओमप्रकाश पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी बडबिराना खातेदार रहन एचडीएफसी शाखाा रावतसर रोही मोजा चक 5 आरएमजी के प0न0 मु0न0 364/457(23) के किला न0. 4 ता 9 की 1.518हैक किला न0 12 ता 15 /1.020हैक प0न0 365/456(19) किला न0 21 ,22/0.506हैक प0न0 365/457(24) किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ,11/1.265हैक नहरी 12/1 की 0.1690हैक नहरी कुल 4.4700हैक ,

रूधाराम रामसिह पि0बिसाउ बहिब 1.1175हैक धर्मपाल सुभाषचन्द्र पि0 बिसाउ, 2.2350हैक जीवणीदेवी पत्नी साहबराम सत्यजीत अशोककुमार पि0 साहबराम 1.1175हैक पवन कुमार राजेन्द्र रामदयाल पि0 सन्तराम 2.2350हैक जवारा पुत्र नारायण 2.2350हैक जाति जाट साकिन बडबिराना खातेदार रहन रामदयाल हि0 एसबीआई शाखा रामगढ उज्जवास जवारा पवनकुमार सुभाष हिस्सा पीएनबी शाखा परलीका मुर्त0 रोही मौजा चक 5 आरएमजी प0न0 मु0न0 366/456(18) किला न0 16 ता 25/2.530हैक प0न0 365/456(19) किला न0 23 ,24/0. 506हैक , 25/0.228 प0न0 365/457(24) किला न0 3 ,4 /0.506हैक 5/0.228 ,6/0.228 ,7 ,8/0.506 ,12/2 की 0.084 ,13 ,14/0.506हैक , 15/0.228हैक प0न0 366/457(25) किला न0 1 ता 13/3.2890हैक , 96/15 की 0.101हैक गै0मु0 रासता कुल 8.940हैक जिसमें नहरी 8.8390हैक गै0मु0रास्ता 0.1010हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। इजराय आदेश के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official